

कार्यालय नगरपरिषद राजसमंद, जिला राजसमंद

क्रमांक : न प रा /फायर /२०२२-२३/-109

दिनांक: 13 जनवरी २०२२

अग्नि सुरक्षा प्रमाण

JK टायर & इंडस्ट्रीज लिमिटेड, JK ग्राम, कांकरोली, राजसमंद के प्रार्थना पत्र दिनांक २१ Dec २०२१ के अनुसार अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक १ जनवरी २०२२ को निरीक्षण किया गया जिसमे नीमन व्यवस्था पायी गयी

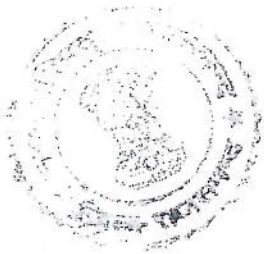
- | | |
|--|-------|
| 1. Fire Pumps (Hydrant , Sprinkler , Jockey) | : 05 |
| 2. Fire Hydrant Points | : 125 |
| 3. Delivery Hoses | : 150 |
| 4. Fire extinguishers (CO २, DCP ,Mech. Foam & water type) | : 498 |

अग्नि शमन उपकरणों का निरीक्षण किया गया व चलाकर चेक किया गया जो सही पाये गए ! अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही पाए जाने पर, निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है!

शर्तें :-

- कारखाने में तैनात सिविलीटी गार्ड व अन्य कर्मचारियों को (दमकल कर्मियों के अतिरिक्त) वर्ष में एक बार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य होगा !
- कारखाने में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों का समय- समय पर रख रखाव आवश्यकतानुसार करना होगा !
- कारखाना प्रबंधन को TAC , NBC -2016 व IS : 2190 :2010 के अनुसार अग्नि सुरक्षा सम्बंधित सभी प्रावधानों /नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी !
- हर समय बचने के मार्ग (Escape Route) को अवरोध से मुक्त रखना होगा !
- यदि राज्य सरकार व या परिषद् द्वारा कोई आदेश /नियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को जारी आदेश मान्य होगा तथा निर्धारित शुल्क नोटिस अनुसार जमा करना होगा अन्यथा Fire NOC मान्य नहीं होगी !
- अग्नि शमन विभाग द्वारा किसी भी समय कारखाने के निरीक्षण के दौरान अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकारी / अधोहस्ताक्षर करता के पास सुरक्षित होगा
- आप द्वारा प्रस्तुत नक्शे व क्षेत्रफल के अनुसार ही Fire NOC जारी की जा रही है , कारखाने में कोई बदलाव करने पर मान्य नहीं होगी !

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध होगा ! जिसे नवीनीकरण करने की जिम्मेदारी कारखाना सञ्चालन की होगी , निर्धारित समय पर नवीनीकरण नहीं करने पर दोबारा से प्रार्थमिक NOC जारी की जाएगी !



D/AO letter/Fire


अग्निशमन अधिकारी
नगरपरिषद राजसमंद